GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS

LOK SABHA
STARRED QUESTION NO. 58
TO BE ANSWERED ON 20.07.2022

INCREASE IN MEAL PRICES IN TRAINS

†*58. SHRI HAJI FAZLUR REHMAN:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether the Railway Board has increased the prices of tea and food items along with special meals served in trains;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the details of rates increased in Shatabdi/ Rajdhani/Duronto and Express trains along with the profit likely to be earned by the Railways therefrom?

ANSWER

MINISTER OF RAILWAYS, COMMUNICATIONS AND

ELECTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY

(SHRI ASHWINI VAISHNAW)

(a) to (c): A Statement is laid on the Table of the House.

*****

https://www.staffnews.in

STATEMENT REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) TO (c) OF STARRED QUESTION NO. 58 BY SHRI HAJI FAZLUR REHMAN TO BE ANSWERED IN LOK SABHA ON 20.07.2022 REGARDING INCREASE IN MEAL PRICES IN TRAINS

(a) and (b): No, Sir. The menu and tariff of catering services comprising all meals including morning/ evening tea with snacks in Rajdhani/ Shatabdi/ Duronto trains and Standard Meals in other Mail/ Express trains are charged vide Commercial Circular No. 60 of 2019. The rates of tea and coffee in Mail/Express trains are charged vide Ministry of Railways' Commercial Circular No. 53 of 2018.

As per Railway Board's instructions dated 13.03.2018, the passengers who opt out of prepaid catering (in Rajdhani/ Shatabdi/ Duronto/ Vande Bharat/ Gatiman/ Tejas), are required to pay an extra charge of Rs 50 per meal in addition to the notified catering tariff for that specific meal if demanded. To clarify the matter, vide Railway Board's letter dated 15.07.2022 the applicable charge for each catering service has been specified for passengers who have opted for prepaid catering service and for those who have not. It has been specified that the extra charge of Rs 50 will not be applicable on morning tea/coffee. It will also not be applicable on Evening Tea with snacks in Sleeper Class of Duronto Trains and on extra meal in case of late running of trains.

(c): Does not arise.

****

https://www.staffnews.in

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
20.07.2022 के
तारांकित प्रश्न सं. 58 का उत्तर

रेलगाड़ियों में मिलने वाले भोजन की कीमतों में वृद्धि

*58. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने रेलगाड़ियों में दिए जाने वाले विशेष भोजन के साथ-साथ चाय और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शताब्दी/राजधानी/दुरन्तो तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में इन चीजों की दरों में हुई वृद्धि तथा इससे रेलवे द्वारा अर्जित किए जाने वाले संभावित लाभ का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

https://www.staffnews.in

रेलगाड़ियों में मिलने वाले भोजन की कीमतों में वृद्धि के संबंध में दिनांक 20.07.2022 को लोक सभा में श्री हाजी फजलुर रहमान द्वारा पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं. 58 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): जी नहीं। राजधानी/शताब्दी/दुरंतो रेलगाड़ियों में स्नैक्स के साथ सुबह/शाम की चाय और अन्य मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों में स्टैंडर्ड भोजन सहित सभी प्रकार के भोजन के साथ खानपान सेवाओं की व्यंजन सूची शामिल है और उनका टैरिफ 2019 के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 60 में उल्लिखित दरों के आधार पर वसूल किया जाता है। चाय और कॉफी की दरें रेल मंत्रालय के 2018 के वाणिज्यिक परिपत्र संख्या 53 में उल्लिखित दरों के आधार पर वसूल की जाती हैं।

रेलवे बोर्ड के दिनांक 13.03.2018 के अनुदेशों के अनुसार, जो यात्री प्रीपेड कैटरिंग (राजधानी/शताब्दी/दुरंतो/वंदे भारत/गतिमान/तेजस रेलगाड़ियों में) का विकल्प नहीं देते हैं उन्हें उस विशिष्ट भोजन के लिए अधिसूचित केटरिंग टैरिफ के अलावा प्रति भोजन 50 रुपये का अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा। इस मामले को स्पष्ट करने के लिए, रेलवे बोर्ड के दिनांक 15.07.2022 के पत्र के तहत उन यात्रियों जिन्होंने प्रीपेड केटरिंग सेवा का विकल्प चुना है और जिन्होंने इस विकल्प को नहीं चुना है, हेतु प्रत्येक खानपान सेवा लागू प्रभार को विनिर्दिष्ट किया गया है। यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि सुबह की चाय/कॉफी पर 50 रुपये का अतिरिक्त प्रभार लागू नहीं होगा। यह प्रभार दुरंतो रेलगाड़ियों की शयनयान श्रेणी में स्नैक्स के साथ शाम की चाय और देरी से चलने वाली रेलगाड़ियों के मामले में अतिरिक्त भोजन पर भी यह प्रभार लागू नहीं होगा।

(ग): प्रश्न नहीं उठता।

*****

https://www.staffnews.in